

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Civil First Appeal No. 626/2011

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री नीरज के तिवाडी।

:: आदेश :: 11.9.2018

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पी एफ नोटिस पेश नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उनके द्वारा आवश्यक नोटिस कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी की ओर से पी एफ नोटिस पेश कर दिये गये हैं, तो प्रत्यर्थीगण को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के नोटिस चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति